राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2087/2022

कुसुम मुदगल –अपीलार्थी

बनाम

1. सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायत राज (प्रा.शि.), राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त, निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग, बीकानेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा हनुमानगढ़।
5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी हनुमानगढ़।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.06.2022
आदेश की दिनांक : 04.08.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अजयराज टांटिया, अधिवक्ता

समक्ष :– मातादीन शर्मा, सदस्य
एम.एस.काला, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार व्यक्त किया गया है कि अपीलार्थी की नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर ब्लॉक अनूपगढ़, श्रीगंगानगर में दिनांक 04.02.1995 को हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 26.10.2017 द्वारा वरिष्ठ अध्यापक (हिन्दी) के पद पर पदोन्नति की गयी। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.07.2019 द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, 7SSW PEEO झाबर, हनुमानगढ़ में पदस्थापित किया गया। वर्तमान में अपीलार्थी यहीं पदस्थापित है। अपीलार्थी के पति तृतीय श्रेणी के पद पर 6 KKW PEEO रोडावाली ब्लॉक हनुमानगढ़ में पदस्थापित है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 29.12.2021 (अनुलग्नक–3) के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, 7SSW PEEO झाबर, हनुमानगढ़ में प्रधानाध्यापक स्वीकृत पद पर विषय हिन्दी के पद पर कार्यरत हूं। वर्तमान में स्टाफिग पैटर्न के अंतर्गत इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक का पद पंजाबी विषय का परिवर्तित स्वीकृत किया गया है। जबकि विद्यालय में तृतीय भाषा में कक्षा 6 से 8 तक के सभी छात्र/छात्रा संस्कृत विषय के है। तृतीय भाषा पंजाबी का एक छात्र भी अध्ययनरत नहीं है। इसलिए उक्त विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद पूर्ववत हिन्दी विषय ही करने का कष्ट

करे। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 21.01.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा स्टाफिंग पैटर्न एवं समानीकरण से अधिशेष कार्मिकों का पदस्थापन द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, 7SSW PEEO झाबर, हनुमानगढ़ से राजकीय माध्यमिक विद्यालय, 1LGW पीलीबंगा, हनुमानगढ़ किया गया। प्रत्यर्थी संख्या–4 के पत्र दिनांक 25.01.2022 (अनुलग्नक–4) द्वारा प्रत्यर्थी संख्या–2 को अवगत कराया कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, 7SSW PEEO झाबर, हनुमानगढ़ से तृतीय भाषा के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट दी गयी, जिससे वर्णित किया गया कि स्वयं विद्यालय में उपस्थित होकर अध्ययनरत छात्र/छात्रा से वार्ताकर जानकारी ली गई कि वर्तमान में सभी विद्यार्थी के पास तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत का ही अध्ययन कर रहे है। शाला दर्पण पोर्टल पर ततीय भाषा मेपिंग के समय भूलवश तृतीय भाषा पंजाबी का भी चयन कर दिया गया था। उपस्थिति विद्यार्थियों ने तृतीय भाषा संस्कृत के रूप में अपनी सहमति भी अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत की है। पत्र में उक्त तिथि की विद्यालय में कक्षावार उपस्थिति भी वर्णित की गयी। प्रत्यर्थी विभाग के पत्र दिनांक 09.02.2022 (अनुलग्नक–5) के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपनी टिप्पणी दिनांक 29.12.2021 में लिखा गया कि विद्यालय में पोर्टल पर 24 छात्र/छात्राएं संस्कृत विषय के है। प्रत्यर्थी विभाग को सही तथ्यों से अवगत कराया गया था। प्रत्यर्थी संख्या–4 द्वारा भी दिनांक 25.01.2022 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट दी गई, जिस पर प्रत्यर्थी संख्या–2 द्वारा आदेश दिनांक 09.02.2022 पारित कर कार्यमुक्ति पर आगामी आदेश तक स्थगित बाबत आदेश जारी किया गया। आगामी आदेश तक अधिशेष कार्मिक पूर्ववत विद्यालयों में पदस्थापित रहते हुए शिक्षण कार्य सम्पादित करवायेंगे। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 23.06.2022 (अनुलग्नक–1) से प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 09.02.2022 (अनुलग्नक–5) के द्वारा काउंसलिंग के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले पदस्थापन आदेशों की क्रियान्विति एवं अधिशेष कार्मिकों की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण प्रक्रिया आगामी आदेश तक स्थगित किये जाने संबंधी दिशा–निर्देश प्रदान किये गये थे। इस संबंध में स्थगित की गई कार्यवाही को पुनः यथावत जारी रखे जाने संबंधी निर्देश एतद्द्वारा प्रदान कर निर्देशित किया जाता है कि पूर्व में सम्पन्न काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से पदस्थापित अधिशेष कार्मिकों की शालादर्पण पोर्टल के माध्यम से कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण दिनांक 30.06.2022 तक आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जावे। अपीलार्थी पदस्थापन स्थान पर अधिशेष नहीं है तथा वर्तमान विद्यालय में पंजाबी के छात्र ही नहीं है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण अधिशेष मानते हुए किया गया, जो अनुचित है। अपीलार्थी वर्तमान में कार्यरत है, उस स्थान पर पद रिक्त है। किसी अन्य को पदस्थापित भी नहीं किया गया है। अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 29.12.2021 पर कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट पर कोई कार्य किया गया। अपीलार्थी के एक मात्र 20 वर्षीय पुत्र की मृत्यु हाल ही में हुई है। अपीलार्थी शुगर की बीमारी से पीड़ित है। अपीलार्थी की पारिवारिक परिस्थितियां विपरीत है। अपीलार्थी को स्थानान्तरण पर कोई यात्रा भत्ता एवं योगकाल नहीं दिया गया है। इस प्रकार आलोच्य आदेश अपीलार्थी को

हैरान व परेशान करने के आशय से पूर्णतया गलत पारित किया गया है। इस आधार पर आलोच्य आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 23.06.2022 (अनुलग्नक–1) एवं आदेश दिनांक 21.01.2022 (अनुलग्नक–2) को अपीलार्थी के संबंध में अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, 7SSW PEEO झाबर, हनुमानगढ़ में कार्य करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे तथा वेतन एवं समस्त लाभ प्रदान किए जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी संख्या–4 के पत्र दिनांक 25.01.2022 (अनुलग्नक–4) में अंकित किया गया है कि उपरोक्त विषय एवं प्रसंग में निवेदन है कि आज दिनांक 25.01.2022 को अद्योहस्ताक्षकर्ता स्वयं विद्यालय में उपस्थित होकर अध्ययनरत छात्र/छात्रा से वार्ताकर जानकारी ली गई कि वर्तमान में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के पास तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत का ही अध्ययन कर रहे है। अद्योहस्ताक्षकर्ता द्वारा कुछ अभिभावकों से भी वार्ता करने पर अवगत हुआ कि उनके बच्चों ने तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत का ही अध्ययन किया है। पूर्व में शाला दर्पण पोर्टल पर ततीय भाषा मेपिंग के समय भूलवश तृतीय भाषा पंजाबी का भी चयन कर दिया गया था। उपस्थित विद्यार्थियों ने तृतीय भाषा संस्कृत के रूप में अपनी सहमति भी अद्योहस्ताक्षकर्ता को प्रस्तुत की है। आज दिनांक 25.01.2022 को विद्यालय में कक्षावार उपस्थिति नियमानुसार है।

क्र.सं.	कक्षा	नामांकन	आज की उपस्थिति	वि0वि0
1	6	7	6	उपस्थित सभी विद्यार्थियों से बात करने पर बताया गया कि वे तृतीय भाषा संस्कृत के विद्यार्थी है
2	7	10	8	
3	8	7	4	
कुल नामांकन		24	18	

इससे स्पष्ट होता है कि विद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थी तृतीय भाषा संस्कृत का ही अध्ययन कर रहे हैं। तृतीय भाषा पंजाबी का एक भी छात्र अध्ययनरत नहीं है। स्टाफिंग पैटर्न के अन्तगर्त भूलवश इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक का पद पंजाबी विषय का परिवर्तित किया गया है। अपीलार्थी के एक मात्र 20 वर्षीय पत्र की मृत्यु हाल ही में हुई है। अपीलार्थी शुगर की बीमारी से पीड़ित है। अपीलार्थी की पारिवारिक परिस्थितियां विपरीत है। अपीलार्थी के पति भी राजकीय सेवा में तृतीय श्रेणी के पद पर 6 KKW PEEO रोडावाली ब्लॉक हनुमानगढ़ में पदस्थापित है। उपर्युक्त मामले की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम न्यायहित में यह आदेश देना समोचीन समझते हैं कि अपीलार्थी दो सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त

आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में चार सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 23.06.2022 (अनुलग्नक–1) एवं 21.01.2022 (अनुलग्नक–2) का अपीलार्थी की सीमा तक क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

आदेश आज दिनांक 04.08.2022 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(एम.एस.काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य